कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / **दिनांक–**

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत बरौली
जिला– गोपालगंज

पत्र
04 FEB 2016
प्राप्ति तिथि
प्रधान सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग ★ बिहार, पटना ★

महाशय,

नगर पंचायत बरौली के वर्ष 2012–13 से 2014–15 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 1171 / 15–16 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

पत्र पंजी
05 FEB 2016
1146
संख्या............
प्रधान सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग ★ बिहार, पटना ★

भवदीय,

ह0 –

(विश्वम्भर कुमार)
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14535 / 3.2 3 **दिनांक–** 22.01.16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, गोपालगंज

22/1/16

(विश्वम्भर कुमार)
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

नगर पंचायत, बरौली
अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 1171/15–16
(अवधि–2012–13 एवं 2014–15)

भाग – I

प्रस्तावना

1.	निरीक्षित कार्यालय का नाम	नगर पंचायत, बरौली, गोपालगंज
2.	लेखा वर्ष	2012–13 से 2014–15
3.	अंकेक्षण अवधि	02.09.2015 से 11.09.2015
4.	लेखापरीक्षा का परिक्षेत्र–	परिशिष्ट–I और II पर संलग्न
5.	लेखा परीक्षा दल के सदस्य	1. श्री बलराम मिश्रा, स0ले0प0अ0 2. श्री राजकिशोर कुमार, वरीय लेखा परीक्षक
6.	निरीक्षण पदाधिकारी का नाम	श्री राकेश खन्ना, व0ले0प0अ0
7.	कार्यालय प्रधान का नाम	श्री कुमार प्रशांत
8.	क्या कार्यालय प्रधान के साथ विचार–विमर्श हुआ	हाँ, दिनांक 11.09.2015 को लेखा परीक्षा के दौरान उठाई गई आपत्तियों पर कार्यपालक पदाधिकारी एवं मुख्य पार्षद की अनुपस्थिति में उप मुख्य पार्षद से चर्चा की गई। सभी ज्ञापांक का जवाब दिनांक 08.10.2015 को डाक द्वारा उपलब्ध कराया गया।
9.	लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेख	परिशिष्ट– I
10.	लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत अभिलेख	परिशिष्ट– I
11.	लेखा परीक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपलब्धियां	परिशिष्ट– VII

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार लेखा परीक्षा, बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई /कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नही होगा।

12. **प्रशासन**

क्र0सं0	पदाधिकारी का नाम	पद का नाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री शशि भूषण मिश्रा	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	01.04.2012	14.02.2014
2.	रिक्त		14.02.2014	13.03.2014
3.	श्री उपेन्द्र कुमार	अंचल पदाधिकारी	14.03.2014	12.09.2014
2.	रिक्त		13.09.2014	26.10.2014
4.	श्री कुमार प्रशांत	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	27.10.2014	31.03.2015

क्र0सं0	पदाधिकारी का नाम	पद का नाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री अरूण कुमार महतो	मुख्य पार्षद	01.04.2012	09.06.2012
2.	श्री राजेन्द्र साह	मुख्य पार्षद	09.06.2012	11.09.2014
3.	श्री सुमन प्रसाद	मुख्य पार्षद	11.09.2014	31.03.2015

क्र0सं0	पदाधिकारी का नाम	पद का नाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1.	रिक्त		01.04.2012	08.06.2012
1.	श्रीमती अजमेरी खातून	उप मुख्य पार्षद	09.06.2012	11.09.2014
2.	श्री शिव नारायण साह	मुख्य पार्षद	11.09.2014	31.03.2015

13. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा का अनुपालन प्रतिवेदन

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 250/2013–14 के कुछ कंडिकाओं के संबंध में अभिलेख प्रस्तुत किए गए थे। निरीक्षण प्रतिवेदन पर अंकेक्षण के दौरान की गई कार्रवाई उल्लेखित की गई है। पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जवाब के साथ दिनांक 08.10.2015 को डाक द्वारा उपलब्ध कराया गया।

14. वित्तीय अधिदृश्य

नगर पंचायत बरौली द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकडों के अनुसार नगर पंचायत द्वारा संधारित सामान्य रोकड़बही के अनुसार लेखापरीक्षा अवधि में आय–व्यय विवरणी निम्न प्रकार थी।

- **सामान्य खाता रोकड़बही**

	2012-13	2013-14	2014-15
प्रारम्भिक शेष	22044227.92	44686010.92	54956739.92
आय	32427502.00	31590226.00	26358759.00
कुल	54471729.92	76276236.92	81315498.92
व्यय	9785719.00	21319497.00	19825965.00
अंत शेष	44686010.92	54956739.92	61489533.92

क. रोकड़बही एवं बैंक पासबुक के अन्तशेष के अन्तर

नगर पंचायत बरौली के सामान्य रोकडबही एवं बैंक पासबुक के 31.03.15 के अन्तशेष का विवरण निम्नवत है। कई पासबुक दिनांक 31.03.15 तक अद्यतन नहीं थी।

(i) रोकड़बही के दिनांक 31.03.15 का अन्तशेष :– ₹6,14,89,533.92

(ii) पासबुक का अन्तशेषः– ₹6,64,06,460.22

(iii) पासबुक में रोकडबही से ज्यादा राशि हैः– ₹ 49,16,926.30

यथाशीघ्र खातों को अद्यतन कराते हुए बैंक समाधन विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय। नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार की जा रही है जिसमें मार्च का चेक रोकड़ बही में स्पष्ट है तथा बैंक पासबुक में नहीं घटा है। विवरणी तैयार कराकर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

ख. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत सहायक रोकड बहियों के अनुसार वर्ष 2012–13 से 2014–15 में नगर पंचायत, बरौली (गोपालगंज) द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्ति व भुगतान निम्न प्रकार थे:–

क0सं0	विवरण	2012–13	2013–14	2014–15
1	प्र0 शेष	94,51,532	1,89,00,933	2,65,01,176
2	प्राप्ति			
	(क) अनुदान पत्रांक	99,45,594	1,20,44,931	1,52,76,204
	(ख) ब्याज	शून्य	3,70,811	29,759
3	कुल	1,93,97,126	3,13,16,675	4,18,07,139
4	भुगतान	4,96,193	48,15,499	66,78,890
5	अन्तशेष	1,89,00,933	2,65,01,176	3,51,28,249

उपर्युक्त प्राप्ति व भुगतान के सार से स्पष्ट है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग अवधि में नगर पंचायत, बरौली को प्राप्त कुल ₹ 3.73 कराड़ के विरूद्ध नगर पंचायत, बरौली केवल ₹ 1.20 करोड व्यय कर पायी।

जवाब में कहा गया कि यथाशीघ्र व्यय कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाएगा।

नगर पंचायत प्राधिकारियों से अनुरोध है कि बडी अवशेष राशि के मद्देनजर नियमों के अन्तर्गत विकास के कार्य शीघ्रतापूर्वक लेकर राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

विस्तृत विवरण III संलग्न।

ग. कबीर अंत्येष्टि की आय व्यय विवरणी निम्नवत है:–

	2012–13	2013–14	2014–15
(1) प्रारंभिक राशि	0.00	787500.00	0.00
(2) आय	787500.00	0.00	570000.00
(3) व्यय	0.00	787500.00	567000.00
(4) अन्तशेष	787500.00	0.00	3000.00

कबीर अंत्येष्टि से संबंधित राशि को अन्य मद की राशि के पासबुक में एक साथ रखे जाने के कारण पासबुक का वास्तविक अंतशेष ज्ञात नहीं किया जा सका।

पासबुक का अन्तशेष एवं बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

घ. स्वर्ण जयंती रोजगार योजना में प्राप्ति व भुगतान

स्वर्ण जयंती शहरी राजगार योजना हेतु संधारित सहायक रोकड़बही जो लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये के अनुसार वर्ष 2012–13 से 2014–15 में प्राप्ति व भुगतान निम्न प्रकार था

क0सं0	विवरण	2012–13	2013–14	2014–15
1	प्रा0 शेष	3,35,924	33,35,924	20,35,182
2	प्राप्ति			
	(क) अनुदान पत्रांक 1113/31.10.12	30,00,000	शून्य	शून्य
	(ख) ब्याज	शून्य	18,853	4,932
3	कुल	33,35,924	33,54,777	20,40,114
4	भुगतान	शून्य	13,19,595	शून्य
5	संवरण शेष	33,35,924	20,35,182	20,40,114
6	खाता सं0 11226890267 शेष	संयुक्त खाता		

लेखा परीक्षा टिप्पणी

1. भारत सरकार के पत्रांक G–24011/4/2012–UPA Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation UPA Division Dated in 7th may 2012 के अनुसार स्वर्ण जयंती के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन निम्नवत वर्णित घटकों में उनके सामने अंकित प्रति ततता में व्यय किया जाना था– कुल आवंटन ₹ 30,00,000

STEP-UP-------------------40%------------------12,00,000

USEP-------------------------20%------------------6,00,000

UWSP---------------------- 20%------------------6,00,000

UWEP ----------------------10%----------------3,00,000

UCDN----------------------10%----------------3,00,000

100% 30,00,000

नगर पंचायत, बरौली द्वारा केवल STEP-UP घटक अन्तर्गत लिये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम पर वर्ष 2012–13 के लिए पत्रांक 507 दिनांक 12.06.12 द्वारा STEP-UP के लिए निर्धारित लक्ष्य 200 के विरूद्ध केवल 81 प्रक्षिणार्थियों के प्रशिक्षण पर ₹13,19,596.00 व्यय कर दिया गया। जबकि वर्ष 2013–14 के लिए सरकार के पत्रांक SPUR-PMU/282 दि0 07/08/2013 द्वारा सरकार द्वारा नगर पं0 के लिए निर्धारित लक्ष्य USEP-20 STEP-UP-75, UWSP-0 व UDCN-50 कुल 145 के विरूद्ध नगर पंचायत बरौली के द्वारा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया तथा 2012–13 में दिए गए प्रशिक्षण मद की 20 प्रतिशत राशि ₹ 2,48,000.00 (रू012.40 लाख का 20 प्रतिशत) एवं टूल व किट्स मद में काटी गई मूल वर्द्धित कर (VAT) की राशि ₹ 17,238.00 का संबंधित शीर्ष में जमा लम्बित थी जिस पर लेखा परीक्षा की टिप्पणी उपर्युक्त दायित्व सहित अन्य घटको के अन्तर्गत कार्यक्रमों की पूर्ति उनके निर्धारित लक्ष्य स्तर तक किस प्रकार की जा सकेगी के आलोक में जवाब दिया गया कि 2013–14 के लिए उपर्युक्त पत्र द्वारा निर्धारित लक्ष्य संबंधित सरकारी पत्र उपलब्ध नहीं रहने के कारण 2013–14 के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकी जो लेखा परीक्षा टिप्पणी का जवाब नहीं था।

15. सामान्य अभियुक्ति

लेखा अभिलेखों के संधारण में अति सुधार की आवश्यकता है। प्रमुख अभिलेख जैसेः– मांग एवं वसूली पंजी, अनुदान पंजी, संपत्ति पंजी, बंदोबस्ती पंजी इत्यादि संधारित नहीं थे। वसूली गयी राशियों के नहीं जमा के अनेक मामले दृष्टिगोचर हुए। निकाय के विभिन्न प्रकार के प्राप्तियों की देख–रेख तथा निकाय निधि में सही समय पर जमा सुनिश्चित करने के लिए पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहेगें। पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनो में लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार को समर्पित किया जाना चाहिए। योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार के दिशा–निर्देश एवं मार्गदर्शिका के पालन की आवश्यकता है।

16. लेखा परीक्षा का परिणाम .

1. अंकेक्षण के दौरान वसूली गयी राशि–₹374602.00

2. अंकेक्षण द्वारा वसूली हेतु सुझाई गयी राशि– ₹563225.00

3. अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि– ₹2674096.00

भाग–II खण्ड–(क)–शून्य

खण्ड–(ख)

कंडिका सं0 01. स्रोत पर आयकर की कटौती नहीं

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की सहायक रोकड़ बही व वेतन पंजी के जांच से ज्ञात हुआ कि श्री राजदेव प्रसाद यादव, प्रधान सहायक तथा श्री शिवनाथ यादव, सहायक को वर्ष 2013–14 व 2014–15 में नियमित वेतन के अतिरिक्त वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप आयकर कटौती सीमा से अधिक अंतर वेतन का भुगतान अन्य आवश्यक कटौतियों भविष्य निधि के पश्चात किया गया। इस अंतर वेतन के भुगतान से पूर्व निम्न विवरणानुसार कटौती योग्य आय कर की स्रोत पर कटौती आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा नहीं की गयी, फलस्वरूप संबंधित वर्षांत तक उपयुक्त आयकर शीर्ष में जमा नहीं किया गया।

1. **श्री राजदेव प्रसाद यादव, प्रधान सहायक**

वित्त वर्ष 2013–14

अंतर वेतन की अवधि	भुगतान अभिश्रव/तिथि	राशि
नवम्बर 13 से जनवरी 14	19/11.02.2014	98139.00
अप्रैल 97 से सितंबर 2009	26/14.02.2014	407308.00
	कुल योग	505447.00

आयकर गणना

	दर प्रतिशत में	आयकर
₹1 से 200000	0	0.00
200001 से 500000	10	30000.00
500001 से 505450	20	1090.00
कुल		31090.00
शिक्षा उपकर		933.00
कुल योग		32023.00

वित्त वर्ष 2014–15

अंतर वेतन की अवधि	भुगतान अभिश्रव/तिथि	राशि
अक्टुबर 2009 से अक्टुबर 13	07/21.07.2014	826258.00
फरवरी 14 से जून 2014	01/21.07.2014	173970.00
सितंबर 14 से दिसंबर 14	15/31.01.2015	148168.00

कुल	1148396.00

आयकर गणना

	दर प्रतिशत में	आयकर
₹1 से 250000	0	0.00
250001 सें 500000	10	25000.00
500001 से 1000000	20	100000.00
1000001 से 1148400.00	30	44520.00
कुल		169520.00
शिक्षा उपकर 3 प्रतिशत		5086.00
कुल योग		174606.00

2. श्री शिवनाथ यादव, सहायक

वित वर्ष 2013–14

	भुगतान अभिश्रव / तिथि	राशि
नवम्बर 13 से जनवरी 14	21 / 11.02.2014	103143.00
अप्रैल 97 से सितंबर 2009	28 / 14.02.2014	596445.00
	कुल योग	699588.00

आयकर गणना

	दर प्रतिशत में	आयकर
₹1 से 200000	0	0.00
200001 सें 500000	10	30000.00
500001 से 699588	20	39918.00
कुल		69918.00
शिक्षा उपकर		2098.00
कुल योग		72016.00

वित्त वर्ष 2014–15

अंतर वेतन की अवधि	भुगतान अभिश्रव / तिथि	राशि
अक्टुबर 2009 से अक्टुबर 13	09 / 21.07.2014	1000750.00
फरवरी 14 से जून 2014	03 / 21.07.2014	183250.00
सितंबर 14 से दिसंबर 14	16 / 31.01.2015	156072.00

	कुल	**1340072.00**

आयकर गणना

	दर प्रतिशत में	**आयकर**
₹1 से 250000	**0**	**0.00**
250001 सें 500000	**10**	**25000.00**
500001 से 1000000	**20**	**100000.00**
1000000 से 1340070	**30**	**102021.00**
कुल		**227021.00**
शिक्षा उपकर 3 प्रतिशत		**6811.00**
कुल योग		**233832.00**

आयकर की कटौती कर किये जाने का कोई भी साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जवाब में कहा गया कि आवश्यक कटौती कर आय कर विभाग के खाता में जमा कर दी जाएगी तथा अगले अंकेक्षण में साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अतः नगर पंचायत प्राधिकारियों से अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रगणित आयकर की राशि ₹ 512477.00 कटौती सहित वर्ष में भुगतान किये गये समग्र वेतन पर आयकर की संगणना कर संबंधित लेखा शीर्ष में जमा किया जाय।

कंडिका सं0 02. धृति कर व विविध रसीद

क. धृति कर रसीद से से वसूली राशि ₹ 0.05 लाख जमा नहीं

कर संग्रहक श्री अनिल प्रसाद के फर्म होल्डिंग रसीद तथा दैनिक वसूली पंजी के जाँच कम में पाया गया कि निम्नलिखित रसीद की राशि गृह स्वामी से वसूली की गई थी एवं उसका इंद्राज दैनिक वसूली पंजी में किया गया था लेकिन यह राशि नगर पंचायत, निधि में जमा नहीं किया गया था।

क0सं0	**रसीद सं0**	**दिनांक**	**वसूली**	**वसूली कर्ता का नाम**
01	8851–8900	17.07.15–28.07.15	21,101.00	श्री अनिल प्रसाद
02	8951–9000	08.08.15–18.08.15	21,141.00	तथैव
03	9001–9050	21.08.15–01.09.15	12,157.00	तथैव
कुल योगः–			54,399=00	

उपरोक्त वर्णित राशि के विरूद्ध अंकेक्षण अवधि मे दिनांक 04.09.2015 को खाता सं 32684801299 एस.बी.आई. में राशि ₹ 49000.00 जमा की पर्ची अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया गया लेकिन रोकड़ बही एवं पासबुक में इन्द्राज कर नहीं दिखाया गया। अतः शेष राशि ₹ 5399.00 को नगर परिषद निधि में जमा करा कर साक्ष्य सहीत अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए एवं अंकेक्षण अवधि में जमा की गई राशि ₹ 49000.00 का रोकड़ बही एवं पासबुक में इन्द्राज अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

ख. धृति कर रसीद से वसूली गई राशि ₹ 0.09 लाख जमा नहीं

श्री शिवनाथ यादव सहायक के द्वारा फर्म होल्डिंग रसीद तथा दैनिक वसूली पंजी के जॉच कम में पाया गया कि निम्नलिखित रसीद की राशि गृह स्वामी से वसूली की गई थी किन्तु नगर पंचायत, निधि में जमा नहीं किया गया था।

क0सं0	रसीद सं0	दिनांक	वसूली राशि	जमा राशि	नहीं जमा राशि
01	8669–8691		13,223.64	11,983.00	1240.64
02	8692–8700 8701–8739		27,515.00	17,515.00	10,000.00
03	8740–8905	04.08.15–13.08.15	4,270.48		4,270.48
04	8906–8944	13.08.15–23.09.15	18562.16		18562.16
कुल योगः–			63571.00	29,498=00	34,073.28

उपरोक्त विवरणीत राशि के विरूद्ध अंकेक्षण अवधि मे दिनांक 04.09.2015 को खाता सं0 32684801299 एस.बी.आई. में राशि ₹ 25000.00 जमा की पर्ची अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया गया लेकिन रोकड़ बही एवं पासबुक में इन्द्राज कर नहीं दिखाया गया। अतः शेष राशि ₹ 9073.25 को नगर परिषद निधि में जमा करा कर साक्ष्य सहीत अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए एवं अंकेक्षण अवधि में जमा की गई राशि ₹ 25000.00 का रोकड़ बही एवं पासबुक में इन्द्राज अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

ग. विविध रसीद से वसूली राशि ₹ 0.26 जमा नहीं

कर दरोगा श्री हरेन्द्र प्रसाद के फर्म होल्डिंग रसीद तथा दैनिक वसूली पंजी के जाँच के क्रम में पाया गया कि निम्नलिखित रसीद की राशि गृह स्वामी से वसूली की गई थी एवं उसका इंद्राज दैनिक वसूली पंजी में किया गया था लेकिन यह राशि नगर पंचायत, निधि में जमा नहीं की गयी थी। विवरणी निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	रसीद सं0	दिनांक	वसूली	नहीं जमा राशि

01	33101–33144	15.07.11–18.02.13	12,040=00	12,040=00
02	31323–31400	08.02.08–15.12.10	13,489=00	13,489=00
कुल योगः–			25,529=00	25,529=00

जवाब में बताया गया कि यथाशीघ्र संबंधित व्यक्ति से वसूली गयी राशि बैंक में जमा करा ली जाएगी। अतः राशि ₹ 25,529.00 श्री हरेन्द्र प्रसाद टैक्स दरोगा से वसूली कर नगर पंचायत निधि में जमा कर अगले अंकेक्षण में साक्ष्य सहित प्रस्तुत करें।

घ. विविध रसीद से वसूली राशि

श्री राजदेव प्रसाद प्रधान सहायक–सह–लेखापाल के विविध रसीद दैनिक वसूली पंजी सहायक रोकडपाल रोकडबही बैंक पासबुक के जॉच एवं मिलान के क्रम में पाया गया की विविध रसीद की राशि ₹ 3,48,865.00 नगर पंचायत निधि में जमा नहीं किया गया था। विवरणी निम्नवत है:–

क्रम सं0	विविध रसीद सं0	दिनांक	वसूली	जमा नहीं
1	33501	22.02.2013	1000.00	1000.00
2	33502	22.02.2013	1000.00	1000.00
3	33503	23.02.2013	1500.00	1500.00
4	33519	04.04.2013	1500.00	1500.00
5	33520	10.04.2013	1500.00	1500.00
6	33522	20.06.2013	1500.00	1500.00
7	33523	27.07.2013	1500.00	1500.00
8	33525	03.12.2013	33100.00	33100.00
9	33529–33537	27.12.2014–28.03.2015	306265.00	306265.00
		कुल	348865.00	348865.00

उपरोक्त वर्णित राशि के विरूद्ध श्री राजदेव प्रसाद प्रधान सहायक–सह– लेखापाल के द्वारा अंकेक्षण अवधि में दिनांक 07.09.2015 से 11.09.2015 तक खाता सं0 32684801299 एस0बी0आई0 में राशि ₹ 300602.00 जमा किया गया। ₹47763 दिनांक 21.02.2015 को एस0बी0आई0 खाता सं0 32684801299 में जमा किया गया था। लेकिन उपरोक्त जमा की गई

राशि का रोकड़ बही एवं पासबुक में इन्द्राज नहीं दिखाया गया। अतः उपरोक्त जमा की रोकड़ बही एव पासबुक में इन्द्राज अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय। शेष बकाया राशि ₹500 शीघ्र नगर पंचायत निधि में जमा की जाय।

ड़. विविध रसीद से वसूली गयी राशि ₹ 0.10 लाख जमा नहीं

श्री राजदेव प्रसाद प्रधान सहायक–सह–लेखापाल द्वारा विविध रसीद एवं दैनिक वसूली पंजी रोकडबही बैंक पासबुक के जॉच कम में पाया गया की विभिन्न विविध रसीद से वसूली ₹ 10,247.00 की वसूली की गई थी। विस्तृत विवरणी IV संलग्न है।

शीघ्र राशि ₹ 10,247.00 की वसूली कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाए एवं साक्ष्य सहित अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

नगर पंचायत कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि विविध रसीद से वसूली गई राशि विभागीय वसूली से वाहन पड़ाव एवं अन्य से संबंधित की गई है, तथा वसूली राशि यथाशीघ्र मिलान कर जमा कर दिया जायेगा।

कंडिका सं0 03. निरस्त

कंडिका सं0 04. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के प्रशिक्षण में अनियमितता

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार का पत्रांक 2/स्वर्ण 2/11–927/नं0 वि0एवं अ0वि0 दिनांक 06.09.12 के माध्यम से स्वर्ण जयंती भाहरी रोजगार योजना अन्तर्गत शहरी जनसंख्या स्व रोजगार प्रशिक्षण घटक के तहत सरकार द्वारा चयनित 63 संस्थाओं की सूची में से नगर पंचायत द्वारा चयनित चारों संस्थाओं की इन्हे आवंटित व्यवसायों हेतु आवश्यक अर्हताओं व शर्तो की धारण/पूर्ति स्थिति संलग्न विवरणी के अनुसार थी। (विस्तृत विवरणी VI संलग्न)

संलग्न विवरण से स्पष्ट है कि किसी भी संस्था द्वारा पत्रांक 927 दिनांक 06.09.12 में वर्णित अर्हताओं में से विवरण के स्तंभ 10,11 एवं 14 में उल्लेखित अर्हताएँ पूरी नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त संस्था कमांक 01 एवं 03 द्वारा कमशः कम्प्यूटर तथा फैशन डिजाईनिंग एवं लैब टेक्नीशियन के प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त अर्हता प्राप्त प्रशिक्षकों की अनुपलब्धता के बावजूद इन संस्थाओं का चयन प्रशिक्षण दिये जाने हेतु किया गया है। संस्था कमांक 01 द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण के मामले में के दो घण्टे प्रतिदिन प्रशिक्षण दिया गया इसके अतिरिक्त सभी संस्थाओं द्वारा उन्हें आवंटित व्यवसायों का प्रशिक्षण एक ही समयावधि में दिये गये। संस्था कमांक 01 द्वारा ब्युटिशियन और फैशन डिजाईनिंग व्यवसायों में दिये गये 10–10 विभिन्न प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के छाया चित्र समान थे। ये छाया चित्र वही थे जो संस्था कमांक 02 द्वारा संलग्न छाया चित्र के समान थे।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. अर्हताओं की पूर्ति किये बिना संस्थाओं के चयन का कारण स्पष्ट किया जाय।
2. संस्था कमांक 01 द्वारा दो घण्टे की समयावधि में उपयुक्त अर्हता धारण न करने वाले प्रशिक्षण द्वारा सफलता पूर्वक प्रशिक्षण किस प्रकार दिया गया।

3. समान संस्था द्वारा समान समयावधि में विभिन्न व्यवसायों में एक ही स्थल पर किस प्रकार प्रशिक्षण दिया गया।
4. दो विभिन्न संस्थाओं द्वारा दो विभिन्न व्यवसायों में भिन्न–भिन्न सेट प्रशिक्षुओं का एक समान छाया चित्र संलग्नता का कारण बताया जाय।
5. संस्था कमांक 02 से 04 को टूल व किटस के भुगतान के दर का आधार लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराया जाय।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में जवाब दिया गया कि अभिलेखों की विभागीय जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। जवाब से स्पष्ट है कि प्रशिक्षण दिए जाने तथा उसके पश्चात भुगतान किए जाने के पूर्व आवश्यक तथ्यों की जांच किए बिना संस्थाओं को भुगतान कर दिया गया। जो संस्थाओं द्वारा दिए गए प्रशिक्षण की सफलता को संदिग्ध बनाता है तथा किया गया भुगतान राशि ₹1319596.00 (275200.00 + 261600.00 + 127200.00 + 328000.00 + 134224.00 + 124972.00 + 68400.00) को आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कंडिका सं0 05. कबीर अंत्येष्टि योजना की त्रुटि एवं अप्रस्तुत अभिश्रव

नगर पंचायत, द्वारा संधारित कबीर अंत्येष्टि योजना की सहायक रोकड़बही एवं संबंधित पारित अभिश्रव के अवलोकन के क्रम में पाया गया की वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक कुल राशि ₹ 13,57,500/– की अग्रिम विभिन्न वार्ड पार्षदो को अपने–अपने वार्ड में भुगतान करने हेतु प्रदान किये गये थे। जिसके विरूद्ध राशि ₹ 8,07,000/– का पारित अभिश्रव लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किया गया। यह योजना बी0पी0एल0 परिवार के लिए चलाई गई थी लेकिन अभिश्रव के नमूना जॉच के दौरान पाया गया कि किसी भी आवेदन में बी0पी0एल0 सं0 दर्ज नहीं थी/ इसके अलावे बी0पी0एल0 कार्ड की छाया प्रति, पहचान पत्र एवं वार्ड के निवासी में नाम होने से संबंधित प्रमाण पत्र भी संचिका में उपलब्ध नहीं थी।

राशि ₹ 547500.00 का पारित अभिश्रव अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

बिना निवास प्रमाण पत्र एवं बी0पी0एल0 सं0 प्राप्त किये वास्तविक लाभुकों की पहचान किस प्रकार सुनिश्चित की गई की अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में जवाब दिया गया कि कबीर अंत्येष्टि अनुदान की राशि निर्वाचित वार्ड पार्षदों के द्वारा पहचान कर वितरीत की जाती है। भविष्य में आपत्तिजनक बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाएगा। जवाब मान्य नहीं है। राशि के वितरण में कबीर अंत्येष्टि की मार्गदर्शिका का पालन नहीं किए जाने के कारण राशि के गलत व्यक्तियों को दिए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के निराकरण किए जाने तक प्रस्तुत किए गए अभिश्रव की सम्पूर्ण राशि ₹ 807000.00 को आपत्ति के अधीन रखा जाता है तथ अप्रस्तुत अभिश्रव की राशि ₹ 547500.00 को अभिश्रव प्रस्तुतिकरण तक आपत्ति के अधीन रखा जाता है तथा अप्रस्तुत अभिश्रव की राशि ₹547500.00 को अभिश्रव प्रस्तुतीकरण तक आपत्ति के अधीन रखा जाता है। अर्थात ₹1354500.00 की लेखा परीक्षा आपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है।

कंडिका सं0 06. असमायोजिक अग्रिम राशि ₹ 1.76 लाख

नगर पंचायत, बरौली द्वारा वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक की संधारित की जा रही 12वी एवं 13वी वित आयोग मद से संबंधित असमायोजित अग्रिम की संचिका के अवलोकन के कम में पाया कि अंकेक्षण के समय तक विभिन्न व्यक्तियों पर 6 (छः) माह से लेकर 3 (तीन) वर्ष पूर्व प्रदत्त अग्रिम अब तक असमायोजित है। इतनी लम्बी अवधि से असमायोजित अग्रिम के समायोजन के लिए किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की रही है। असमायोजित अग्रिम की विवरणी निम्नवत है:–

क0 सं0	अग्रिम धारक का नाम	चेक सं0	दिनांक	राशि	विवरण
01.	श्री शिवनाथ यादव	367744	05.07.2012	30000.00	विशेष कार्य
02.	श्री शिवनाथ यादव	367745	09.08.2012	30000.00	विशेष कार्य
03.	श्री मनोज कुमार भारती		18.08.2012	25518.00	मिश्रित/कार्यालय
04.	श्री जयकृष्ण प्रसाद	367753	14.11.2012	62157.00	छठ घाट सफाई
05.	श्री राजदेव प्रसाद यादव		07.05.2013	4210.00	लाईट मरम्मति
06.	श्री अभिषेक कुमार		04.03.2015	25000.00	ईंधन एवं सफाई
			कुल	176885.00	

शीघ्र राशि ₹ 176885.00 का समायोजन/वसूली कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

भाग–III (TAN)

कंडिका सं0 01. धृति कर माँग व वसूली पंजी का संधारण नहीं

नगर पंचायत, द्वारा धृति कर की माँग व वसूली पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था जिसके कारण माँग व वसूली की वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी थी। अंकेक्षण अवधि

का मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रस्तुत किए गए अप्रैल 2015 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार 2014–15 तक का कुल बकाया धृति कर की राशि ₹ 16,01,000/– थी एवं वर्तमान वर्ष 2015–16 की माँग राशि ₹ 6,99,000/– थी।

यथाशीघ्र धृति कर माँग व वसूली पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण दल को प्रस्तुत किया जाय।

जब धृति कर माँग पंजी का संधारण ही नहीं किया जा रहा था तो धृति कर की माँग व वसूली राशि जिसे मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रविष्टि की जा रही है के आधार पर की गई अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में जवाब दिया गया कि पूर्व के निर्धारित धृति कर मांग व वसूली पंजी के आधार पर मासिक प्रगति प्रतिवेदन में राशि की प्रविष्टि की जा रही है। लेकिन अंकेक्षण के समक्ष पूर्व के निर्धारित धृति कर मांग व वसूली पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया।

अंकेक्षण अवधि का मासिक प्रगति प्रतिवेदन अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किया गया।

हस्ता0–
(बलराम मिश्रा)
स0ले0प0अ0

हस्ता0–
अनुमोदित
उपमहालेखाकार––सह––
स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना

परिशिष्ट–1

नगर पंचायत बरौली

लेखा परीक्षा के दौरान जांच किये गये अभिलेखो / पंजियों की सुची

(प्रतिवेदन की कंड़िका 4 एवं 9 भाग I से संदर्भित)

1. लेखापाल रोकड़बही
2. होल्ड़िग रसीद
3. मनी रसीद
4. सहायक रोकड़बही
5. स्टोक रजिस्टर– एच,एम एवं स्थायी सामग्री
6. अग्रीम रजिस्टर
7. योजना पंजी
8. योजना संचिका– आंषिक
9. सामानों के कय से संबधित संचिका
10. अभिश्रव– आंषिक
11. सेवा पुस्त
12. आई0एच0एस0डी0पी0 संचिका
13. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना से संबधित संचिका

19/10/15

परिशिष्ट–2

नगर पंचायत बरौली

लेखा परीक्षा के दौरान अप्रस्तुत/असंधारित अभिलेखो / पंजियों की सुचि

(प्रतिवेदन की कंड़िका 4 एवं 10 भाग I.से संदर्भित)

1. मांग एवं वसूली पंजी
2. संचार (मोबाईल) टावरों से संबंधित संचिका एवं विवरणी
3. बन्दोबस्ती से संबधित संचिका
4. वाद पंजी
5. सम्पति पंजी
6. लॉग बुक
7. वेतन पंजी
8. अनुदान पंजी
9. चेक निर्गत पंजी
10. वार्षिक लेखा
11. दुकान से संबधित पंजी,रजिस्टर एवं एकरारनामा से संबधित संचिकाएं
12. उपयोगिता प्रमाण पत्र
13. दैनिक मजदुरो के भुगतान से संबधित पंजी
14. सैरातो से संबधित रजिस्टर एवं संचिकाए
15. बजट संचिका
16. वे सभी अभिलेख जिनका उल्लेख परिषिश्ट–1 में नहीं किया गया है।

19/10/15

परिशिष्ट-III, कंडिका-14 (भाग-I)

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत अनुदान प्राप्ति व उसके विरुद्ध व्यय विवरणी

प्राप्ति पक्ष	शुद्ध करों का अंतरण: वेतन/पेंशन	शुद्ध करों का अंतरण: विद्युत विक्र सेवा प्रदायी आकस्मिकता	शुद्ध करों का अंतरण: विकास कार्य	उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र: नगरीय सड़कें	उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र: जलापूर्ति	उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र: लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता	उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र: सड़कों के लिए प्रकाश	उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र: [illegible] की व्यवस्था समाप्ति	उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र: पार्किंग स्थल	असम्बद्ध अनुदान	कुल	अभ्युक्ति पत्रांक/दिनांक
प्रा० शेष	26,33,686	3,76,225	7,52,449	3,02,154 4,05,937	6,38,664 3,41,436	2,84,533	3,79,393	11,38,115	1,96,889	2,153 20,00,000	9,42,971 85,08,561	52/19.3.12 * 61/19.3.12
2012-13	37,94,488	5,42,066	10,84,108	4,02,035	3,38,161	2,81,801	3,75,734	11,27,201	-	20,00,000	99,45,594	67/4.3.13 * 67/4.3.13
2013-14	60,85,853	8,69,407	17,15,289	3,96,247	3,32,313	2,75,901	3,69,921	-	-	20,00,000	1,20,44,931	102/134/15.3.14 * 102/15.3.14
2014-15	83,16,618	11,86,111	23,78,151	4,01,344	3,37,578	2,81,316	3,75,086	-	-	20,00,000	1,52,76,204	159/ 20.3.15 164/ 25.3.15 * 159/20.3.15 164/25.3.15
कुल	2,08,30,545	29,73,809	59,29,997	3,02,154 * 16,05,563	6,38,664 13,49,488	11,23,551	15,00,134	22,65,314	1,96,889	2,153 80,00,000	9,42,971 4,57,75,290	
व्यय												
2012-13	4,07,663	-	00	5,664 00	30,000	-	-	-	-	53,066	4,96,193	
2013-14	18,92,398	-	6,27,557	4,09,843	2,87,201	1,79,599	-	-	-	14,18,901	48,15,499	
2014-15	39,70,232	-	7,50,726	3,90,032	15,562	83,617	-	2,14,000	-	12,54,721	66,78,890	
कुल व्यय	62,70,293	00	13,78,283	8,05,339	3,32,763	2,63,216	00	2,14,000	00	27,26,688	1,19,90,582	
अन्तशेष	1,45,60,252	29,73,809	45,51,714	11,02,378	16,55,389	8,60,335	15,00,134	20,51,314	1,96,889	52,75,465	3,47,27,679	

हस्ताक्षर 19/10/15

परिशिष्ट - IV, कंडिका - 2 (भाग-[illegible]) 4

विविध रसीद से वसूली गई राशि

क्र० सं०	दिनांक	विविध रसीद सं०	वसूली राशि	[illegible] जमा राशि
1	2	3	4	5.
01.	31.08.12. / 17.11.12.	33235 से 33300 तक	515:00	515:00
02.	27.03.12.	33401 से 33500 तक	700:00	700:00
03.	—	33601 से 33700 तक	705:00	705:00
04.	—	33701 से 33732 तक.	260:00	260:00
05.	24.03.12.	33301 से 33307 तक.	4,712:00	4712:00
06	27.04.08. / 03.11.08.	32301 से 32400 -	715:00	715:00
07.	03.11.08. / 16.03.09.	32401 से 32500. -	695:00	695:00
08.	15.05.09 / 22.02.10.	32701 से 32800. -	525:00	525:00
09.	22.12.10 / 23.03.12.	32901 से 32800 -	950:00	950:00
10.	08.03.13 / 11.03.13.	33733 से 33800 -	470:00	470:00
			₹ 10,247:00	10,247:00

राजकिशोर